राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1702/2012/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जी. के. एक्स्पोर्ट्स,
राई का बाग, ओल्ड पुलिस लाईन, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विनय मेहता, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 28/01/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 38/आरवैट/जेयूए/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.05.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवहन चैकिंग के दौरान दिनांक 02.11.2011 को वाहन संख्या आर.जे.19/1जी–7017 को चैक करने पर वाहन में **'ओल्ड लकड़ी फर्नीचर'** अहमदाबाद से जोधपुर के लिये परिवहनित होना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स काठियावाड़ हैण्डीक्राफ्ट अहमदाबाद का बिल संख्या 23 दिनांक 01.11.2011, मैसर्स चौपड़ा ट्रांसपोर्ट कम्पनी अहमदाबाद की जी.आर. नं0 26651 दिनांक 01.11.2011 एवं घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 3696389 प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों की जांच किये जाने पर घोषणा प्रपत्र वैट–47 दिनांक 25.08.2008 को दो वर्ष की अवधि के लिये जारी किया हुआ होने से दिनांक 24.08.2010 को इसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाने के कारण उक्त घोषणा प्रपत्र कालातीत होने से माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण

लगातार.....2

बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ नया घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 8999750 तैयार कर प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब एवं दस्तावेज को अस्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 36,750/– आरोपण का आदेश दिनांक 02.11.2011 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर शास्ति आदेश अपास्त किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। किन्तु पत्रावली पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री विनय मेहता की लिखित बहस उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का कथन है कि व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल का परिवहन कालातीत घोषणा–पत्र के समर्थन से किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कालातीत घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना उचित एवं विधिक था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में नया घोषणा–पत्र वेट–47 तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस. टी.सी. 611** की पालना में स्वीकार्य नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा परिवहनित माल प्रावधानों के तहत वांछित वैध दस्तावेजों से समर्थित नहीं होने के बावजूद शास्ति आरोपण के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित बहस में उल्लेखित किया है कि प्रेषक व्यवहारी द्वारा भूलवश कालातीत घोषणा–पत्र माल के साथ संलग्न कर भिजवा दिया गया, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। नोटिस की पालना में नया घोषणा–पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे भी अस्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण अविधिक रूप से किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए शास्ति आदेश अपास्त किया गया है। उक्त अंकन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया है।

लगातार.....3

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में चैकिंग दिनांक 02.11.2011 को वाहन चालक द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा–पत्र वैट–47 प्रस्तुत किये गये थे। प्रश्नगत घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 3696389 कालातीत प्रस्तुत किया गया। इस बाबत जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नया घोषणा–पत्र वैट–47 संख्या 8999750 प्रस्तुत कर दिया गया। साथ ही जवाब में यह ज़ाहिर किया गया कि उनके द्वारा प्रेषक व्यवहारी को पूर्व में घोषणा–पत्र भिजवा दिये गये थे, प्रेषक व्यवहारी द्वारा भूलवश पुराना घोषणा–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। प्रकरण की उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन के आशय से कालातीत घोषणा–पत्र का प्रयोग किया गया है। उक्त त्रुटि एक तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आती है, जिसके लिये वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 36 टैक्स अपडेट 94 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड, अजमेर** एवं **(2013) 35 टैक्स अपडेट 316 मैसर्स जे.पी.फूड्स, उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कालातीत घोषणा–पत्र वैट–47 प्रस्तुत किया जाना एक तकनीकी त्रुटि है, जिसके लिये धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. उक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

28/01/2014

(मनोहर पुरी)
सदस्य